



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 638984

पट्टानामा अनुबन्ध पत्र

मुद्दत- 20 वर्ष

मु0 1000/- रुपये प्रतिमाह

स्टाम्प मु0 2500/- रुपये

हम कि श्रीमती अर्चना रानी पत्नी श्री पुत्री रमेश चन्द्र निवासी मौहल्ला हीरा कॉलोनी, कस्बा सिकन्दाबाद, जिला बुलन्दशहर (आधार सं0- 819198714528) फरीक अव्वल (पट्टा दाता) एवं कैम्ब्रिज इन्स्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोसाईटी, सिकन्दाबाद, जिला बुलन्दशहर द्वारा प्रबन्धक/सचिव नवीन कुमार गौड़ पुत्र श्री उदयपाल सिंह, निवासी मौहल्ला हीरा कॉलोनी, कस्बा सिकन्दाबाद, जिला बुलन्दशहर (आधार सं0- 237321738152) फरीक दायम (पट्टा गृहीता)।



008



50 m 1-3/4 m

01 25/07 2001 12:00 12:00

गंगाश गुप्ता, स्टाफ़ विक्रेता
लाइसेंस नं० 112/2001
कलैक्ट्रेट परिसर, बुलन्दशहर

राजस्थान सरकार





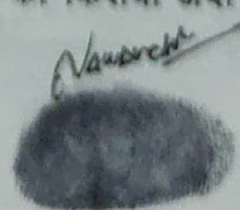
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 638985

(2)

विदित हो कि सम्पत्ति स्थित मौहल्ला हीरा कॉलोनी (खसरा/खाता सं०-1503, गाटा संख्या -1509 का अंश), परगना व तहसील सिकन्द्राबाद, जिला-बुलन्दशहर एक किता इमारत व भूमि पैमाईशी कुल क्षेत्रफल 6325 वर्गमीटर, जिसमें कमरे बने हैं एवं शेष खाली फील्ड है। चतुर्सीमा :-पूरब-रास्ता, पश्चिम-प्लॉट पवन कुमार आदि, उत्तर-प्लॉट जितेन्द्र भाटी, दक्षिण-रास्ता मिलिकयत फरीकअव्वल है। मुझ फरीक दायम ने उपरोक्त इमारत व भूमि को शिक्षण संस्थान हेतु निम्न शर्तों पर किराये पर लिया है।

1. यह कि पट्टानामा दिनांक 16.03.2023 ई० से 15.03.2043 तक अधिकृत होगा।
2. यह कि दोनों फरीकैन ने आपसी सहमति के आधार पर मु०-1000/- (एक हजार रुपये) फरीक दायम द्वारा फरीक अव्वल को देना तय हुआ है।
3. यह कि इस पट्टानामे की म्याद 20 साल तय करार पाई है तथा फरीक दायम प्रत्येक माह की 01 तारीख को किराया अदा करेगा।



008



5813. 10.3/23
50 sin

योगेश गुप्ता, स्टाफ विक्रेता पट्टा विलेख (20 वर्ष , 00 माह)
लाइसेंस नं० 112/2001
60,000/- रिपेटेड परिसर, बुलन्दशहर 12,000.00 700.00 20 720.00 800
प्रतिफल मालियत ओसत वार्षिक किराया फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

कैम्ब्रिज इन्स्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोसाईटी, द्वारा नवीन कुमार गौड़ प्रबन्धक

पुत्र श्री उदयपाल सिंह

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी मौ० हीरा कॉलोनी कस्बा सि०बाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/3/2023 समय 12:47PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ब्रजेश कुमार
उप निबन्धक
सिकन्द्राबाद
16/3/2023

निबन्धन लिपिक

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार

पट्टा दाता

श्रीमती अर्चना

पुत्री श्री रमेश चन्द्र

पेशा गृहिणी

निवासी मौ० हीरा कॉलोनी कस्बा सि०बाद

पट्टा गृहीता

कैम्ब्रिज इन्स्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोसाईटी

द्वारा नवीन कुमार गौड़ प्रबन्धक

पुत्र श्री उदयपाल सिंह

पेशा व्यापार

निवासी मौ० हीरा कॉलोनी कस्बा सि०बाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री नितिन जैन

पुत्र श्री सुरेश चंद जैन

पेशा व्यापार

निवासी मौ० हीरा कॉलोनी कस्बा सि०बाद

व श्री सतीश चंद

पुत्र श्री राम चन्द्र

पेशा व्यापार

निवासी मौ० टीचर्स कॉलोनी कस्बा सि०बाद

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ब्रजेश कुमार
उप निबन्धक
सिकन्द्राबाद
16/3/2023

निबन्धन लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 638986

(3)

4. यह कि यदि निरंतर 03 माह का किराया रुक जायेगा तो ऐसी दशा में फरीक अब्बल को यह हक हासिल होगा कि वह फरीक दायम से अपनी उक्त भूमि को खाली करा लें।
5. यह कि फरीक दायम उपरोक्त भूमि को अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं देगा और यदि देगा तो उपरोक्त सम्पत्ति से बेदखल समझा जावेगा।
6. यह कि इस पट्टानामे की अवधि समाप्त होने पर फरीक दायम उपरोक्त भूमि को अपने कब्जे से छोड़कर उस पर फरीक अब्बल का कब्जा करा देगा।
7. यह कि उक्त भूमि पर (पट्टानामे की अवधि को छोड़कर) यदि कोई देनदारी, लोन आदि होगा तो उसकी अदायगी की पूर्ण जिम्मेदारी फरीक अब्बल की होगी।

Dev.



Vandana



008



5953 16/3/13

अधीन न्याय मन्त्रालय

योगेश गुप्ता, स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं० 112/2001

कलेक्टर परिसर, बुलन्दशहर

पददाता

Registration No.:

441

Year :

2,023

Book No.:

1

0101

अर्चना

रमेश चन्द्र

मौ० हीरा कॉलोनी कस्बा सि०बाद

गृहिणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 638987

(4)

8. यह कि पट्टानामा की अवधि के अन्दर बिजली पानी सभी प्रकार के टैक्स व देनदारी आदि को जमा करने की जिम्मेदारी फरीक दायम की होगी तथा फरीक दायम उक्त भूमि में स्कूल के लिए यदि कोई निर्माण कार्य कराता है, तो फरीक अब्बल को कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. यह कि यदि पट्टानामा की अवधि पूर्ण होने के पश्चात दोबारा आपसी सहमति से अवधि बढ़ायी जाती है तो स्टाम्प शुल्क व फीस अदाकर पंजीकरण कराना होगा।
10. यह है कि ये भूमि उक्त संस्था को स्कूल चलाने के लिए किराये पर दी गयी है तथा आवश्यकतानुसार स्कूल हेतु निर्माण कार्य कराया जा सकता है।



008



59'54 . 163/m

sp53

योगेश कुमार, स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं० 112/2001

कलेक्टर परिसर, बुलन्दशहर

Registration No.:

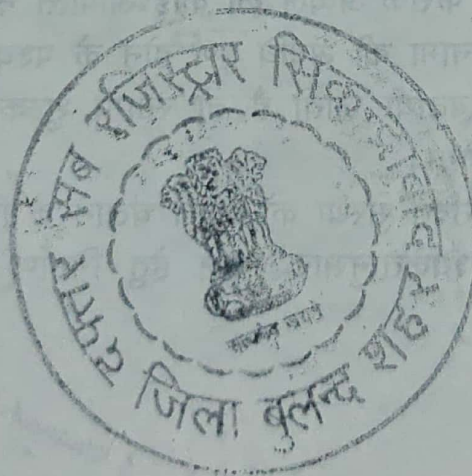
441

पददा गृहीता

Year : 2,023

Book No.: 1

0201 कैम्ब्रिज इन्स्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोसाईटी
द्वारा नवीन कुमार गौड प्रबन्धक
उदयपाल सिंह
मौ० हीरा कॉलोनी करबा सि०बाद
व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 638988

(5)

अतः यह पट्टानामा वास्ते मुददत 20 साल खूब सोच समझकर लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। इति। दस्तावेज हाजा पर फोटो प्रमाणित श्री *मोहम्मद शम्सुद्दीन* एडवोकेट, सिकन्दाबाद ने किये है।

गवाह :-

गवाह :-



*मिलन लाल गुप्त सुरेशचंद्र
जिन्होंने दस्तावेज का
सिद्धांत लिखा - बुद्धिमान*

Milhan



*सतीश चंद्र गुप्त रमेशचंद्र
जिन्होंने दस्तावेज का
सिद्धांत लिखा - बुद्धिमान*

Madhavi

तहरीर तारीख-16.03.2023, मसौदाकर्ता देवेन्द्र सिंह दस्तावेज लेखक, सिकन्दाबाद

008



598A 16/3/23

योगेश गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं० 12/2001
कलैक्ट्रेट परिसर, बुलन्दशहर

आज दिनांक 16/03/2023 को

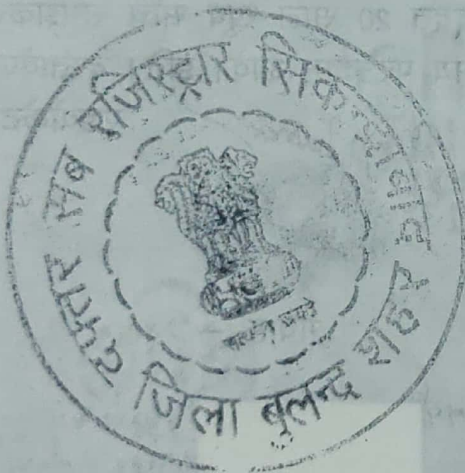
वही सं. 1 जिल्द सं. 6290

पृष्ठ सं. 283 से 292 पर क्रमांक 441

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

(2)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



ब्रजेश कुमार

उप निबन्धक

सिकन्दराबाद

16/3/2023

